BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (c) No central registry is maintained of contractual arrangements entered into in respect of import and export transactions entered into by Ministries and Public Sector Undertakings of Govt, of India.

No omnibus guidelines applicable to all transactions have been prescribed. General Financial Rules, 1963 apply to transactions of Ministries and Departments of the Central Government.

There is no proposal to request a Parliamentary Committee to enquire into the observance of guidelines in the case of contracts entered into since 1991-92. These aspects are duly looked into by the Internal Auditors, Statutory Auditors and the Comptroller and Auditor General of India in accordance with the extant procedures.

Medium of Examination in Industrial Training Institutes

*347. S/SHRI NILOTPAL BASU & SHRI MD. SALIM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that examination papers for Industrial Training Institutes are supplied in English and Hindi only;

(b) whether Government are aware that instructions are imparted in these institutes through regional languages also;

(c) if so, whether Government agree that this poses a major problem for the trainees;

(d) if so, whether the situation will be rectified by introduction of question papers in regional languages also;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (f) Government are aware that examination papers for Industrial Training Institutes are supplied bilinqually, in English and Hindi. Government are also aware that instructions in ITIs are imparted in the regional languages also. However, this problem has been addressed by advising the concerned State Directors that wherever necessary the examination papers may be translataed in * the regional languages on the spot.

The two proposals for ensuring supply of question papers in the regional languages, namely decentralisation of Trade Testing activities at the State level and despatch of question papers in advance by DGE&T to the State Direction, for translation and printing in the regional languages, were not accepted by the National Council for Vocational Training (NCVT) as the certificates would lose their national recognition and also it would be difficult to maintain the secrecy of the examination. The State Directors have also expressed their inability in getting large numbers of question papers translated and printed in the regional languages.

गेहूं की खरीद

*348. श्री राघवजी: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रत्येक राज्य में गेहूं की कितनी-कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ख) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार सरकार के भंडार में दो वर्ष से अधिक पहले खरीदे गए गेहूं की मात्रा कितनी है;

(ग) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार सरकार के गेहूं भंडार की कितनी मात्रा गोदामों के बजाय खुले में पड़ी थी; और

(घ) गेहूं की भण्डारण की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ख) 6.17 लाख टन।

(ग) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार 12.70 लाख टन गेहूं "कवर" और "प्लिंथ" (कैप) में रखा हुआ था।

(घ) यह प्रयत्न किए जाते है कि गेहूं की अधिकतम मात्रा को ढके हुए गोदामों में ही रखा जाए। 1.6.96 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 207.70 लाख टन मात्रा की ढकी हुए भण्डारण क्षमता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 के दौरान 1.56 लाख टन मात्रा की ढकी हुई भण्डारण क्षमता सृजित करने का भी प्रस्ताव है।

गेहूं के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार से हैं:—

(1) गेहूं का भण्डारण ढके हुए गोदामों और "कैप" में किया जाता है और भण्डारण में मृदा-नमी से बचाव हेतु लकड़ी के क्रेटों, पोलीथीन शीट और बांस की चटाई आदि जैसी "ढनेज" सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।

(2) नमी-तत्व और जन्तुबाधा के साथ-साथ खाद्यान्नों की क्वालिटी को चैक करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों (क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ) द्वारा गेहूं के स्टाक का नियमित और आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(3) भण्डारित अनाज में जन्तुबाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रोगनिरोधी और रोगहर उपाय किए जाते है। इसके अलावा भण्डारण के दौरान पर्याप्त मूषक नियंत्रण उपाय भी किये जाते हैं।

(4) खुले परिसरों में गेहूं के चट्टे पोलीथीन चादरों, नाइलोन जालों और पोलीथीन कवरों से उचित रूप से ढके जाते हैं और नाइलोन की रस्सियों से मजबूती से बांधे जाते हैं ताकि तूफान और वर्षा के मौसम के दौरान इन्हें उड़ने से रोका जा सके। कैप परिसरों में भण्डारित गेहूं के स्टाक का धूप के दिनों के दौरान वातन किया जाता है ताकि नमी तत्वों को कम किया जा सके।

(5) कैप में गेहूं का भण्डारण ईंटों आदि से ऊंचे बनाए गए प्लिंथों पर किया जाता है और निचली सतह को पानी से बचाने के लिए जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था की जाती है।

(6) खुले परिसरों में गेहूं के चट्टे गुम्बद के आकार में लगाए जाते हैं ताकि वर्षा के मौसम के दौरान पोलीथीन कवरों पर पानी जमा न हो सके।

विवरण

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के विपणन मौसम के दौरान गेहूं की खरीदी का एजेंसीवार ब्यौरा

19.8.1996 की स्थिति के अनुसार (आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीजन	भारतीय खाद्य निगम	राज्य	नागरिक पूर्ति निगम	सहकारी	कृषि उत्पाद	राज्य भंडारण निगम	उपभोक्ता सहकारी संघ	जोड़
बिहार	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	0
	1995-96	9	—	—	—	—	—	—	9
गुजरात	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	0
	1995-96	807	—	—	—	—	—	—	807
हरियाणा	1996-97	265973	423761	—	966469	208326	196560	—	2061089
	1995-96	388173	720711	—	1404297	300965	287717	—	3101863
मध्य प्रदेश	1996-97	—	—	4590	—	—	—	—	4590
	1995-96	3934	—	164559	—	—	—	—	168493
पंजाब	1996-97	1663928	628260	1272922	1139503	—	920788	—	5625401
	1995-96	2289599	883076	1431895	1504722	—	1189521	—	7298813
राजस्थान	1996-97	228952*	—	—	—	—	—	—	228952
	1995-96	454457&	—	—	—	—	—	—	454457

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		सीमन	भारतीय खाद्य निगम	राज्य	नागरिक पूर्ति निगम	सहकारी	कृषि उद्यम	राज्य [illegible] निगम	उपभोक्ता सहकारी संघ	जोड़
उत्तर प्रदेश	1996-97	13928	34500	21666	104394	50815	50	35354	260707
	1995-96	74487	261979	121534	475742	194718	—	173313	1301773
दिल्ली	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	0
	1995-96	486	—	—	—	—	—	—	486
अखिल भारत	1996-97	2172781	1086521	1299178	2210366	259141	1117398	35354	8180739
	1995-96	3211952	1865766	1717988	3384761	495683	1477238	173313	12326701

*राजस्थान राज्य भण्डारण निगम द्वारा वसूल की गई 71025 टन की मात्रा और भारतीय खाद्य निगम उप एजेंट के रूप में राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ द्वारा वसूल की गई 42990 टन की मात्रा शामिल है।

&राजस्थान राज्य भण्डारण निगम द्वारा वसूल की गई 12624 टन की मात्रा और भारतीय खाद्य निगम के उप एजेंट के रूप में राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ द्वारा वसूल की गई 136104 टन की मात्रा शामिल है।

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चीनी की मांग एवं आपूर्ति

*349. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में ज़िलावार कितनी चीनी का उपभोग किया गया और मांग की तुलना में कितनी मात्रा में चीनी की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या मांग की तुलना में चीनी की कम आपूर्ति की गई है और उसके परिणामस्वरूप चीनी की कालाबाजारी के संबंध में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) वर्ष 1996 के दौरान उक्त क्षेत्र के जिलों को चीनी की कितनी मात्रा आवंटित की जाएगी और इस परियोजनार्थ केन्द्रीय पूल से चीनी की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि हेतु और चीनी जारी करने की कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) चीनी की खपत का कोई सांख्यिकी (आंकड़ा) नहीं रखा जाता है। उपभोक्ता अपनी चीनी की आवश्यकता को कुछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तथा बाकी खुले बाजार से प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः गुजरात सहित अन्य राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के समान उपलब्धता के मानदंड पर आकलन कर लेवी चीनी की आपूर्ति की जाती है। इसका वर्तमान संदर्भ 1991 की जनगणना की जनसंख्या है। इसके अलावा व्यक्तिगत खपत के लिए जितनी भी चीनी की आवश्यकता है, उसे खुले बाजार से खरीदा जाता है। इस उद्देश्य के लिए आवंटन नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित चीनी राज्यों के बीच चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के समान मानदंड को ध्यान में रखकर आवंटित की जाती है, अतः राज्य के कोटे में वृद्धि के प्रश्न पर केवल सामान्य संशोधन के संदर्भ में ही विचार किया जा सकता है।

गुजरात के लिए लेवी चीनी का मासिक हिस्सा 17557 मी० टन बैठता है। राज्य सरकार ने वर्ष 1996 के लिए अपने वार्षिक त्यौहार कोटे को 4878 मी० टन के 9400 मी० टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, इसके प्रति गुजरात को 9756 मी० टन आवंटित किया गया था।

Orders to BHEL for AC/DC machines

*350. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Bharat Heavy Electricals Ltd. have secured a record number of orders for AC/DC machines during 1995-96;